



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक- 03 अक्टूबर, 2024

थाना पहासू

अवैध पटाखे बनाने की सामग्री व उपकरण के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

जनपद में अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 03.10.2024 को थाना पहासू पुलिस द्वारा विशेष अभियान के अन्तर्गत थाना पहासू क्षेत्रान्तर्गत भिन्न-भिन्न स्थानों से 03 अभियुक्त को अवैध पटाखे बनाने की सामग्री व उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना पहासू पर मुअसं- 284/24 व 285/24 धारा 9ख(1)A/9ख(1)B विस्फोटक अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. पवन पुत्र रमेश चन्द निवासी ग्राम हीरापुर थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।
2. राजवीर पुत्र देवीलाल निवासी ग्राम हीरापुर थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।
3. जसवन्त पुत्र गंगासहाय निवासी ग्राम नगल फतिहाबाद थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

- 1- 149 अदद मिट्टी के अनार खाली
- 2- 420 अदद सुतली पटाखा अधबनी
- 3- 03 अदद गुच्छी सन
- 4- 560 अदद कागज के बने हुए खाली खोल
- 5- 6 अदद स्काई शॉट(पैन्टा टॉप 05 शॉट)
- 6- 4.6 कि०ग्रा० बारूद (पटाखा बनाने के लिए कच्चा माल)
- 7- 49 अदद बने हुए देशी शॉट पटाखा

गिरफ्तार अभियुक्त पवन का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 284/24 धारा 9ख(1)A/9ख(1)B विस्फोटक अधिनियम थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार अभियुक्त राजवीर का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 284/24 धारा 9ख(1)A/9ख(1)B विस्फोटक अधिनियम थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार अभियुक्त जसवन्त का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 285/24 धारा 9ख(1)A/9ख(1)B विस्फोटक अधिनियम थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. श्री रामफल सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना पहासू।
2. उ०नि० केवल सिंह, उ०नि० संजय सिंह।
3. का० कौशल कुमार, का० 1351 लोकेश कुमार, है०का० 1296 राजकुमार।



मीडिया सेल बुलंदशहर